हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्याः 1900.

श्री रिखी राम कौंडल :अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी है उसमें 1.4.2014 से 15.2.2015 तक सामाजिक सुरक्षा पैंशन, (विधवा,बुढ़ापा और अपंग) के 61,700 मामले इनको प्राप्त हुए जिनमें से 23,534 मामले स्वीकृत किए गए और 38,186 मामले लम्बित पड़े हैं। मैंने अपने प्रश्न में यह सूचना मांगी थी कि कितने आवेदन आए और कितने लम्बित पड़े हैं, नाम और पते सहित ब्यौरा दिया जाए। कितने आवेदन आए इसका तो उत्तर दे दिया । लेकिन अध्यक्ष महोदय नाम-पते सहित ब्यौरा के लिए इन्होंने लिखा है कि धन के शक्ति के अनुपात में न्यायोचित न होगा। अगर माननीय मंत्री जी ने ऐसी ही सूचना छुपानी हो तो फिर इस मान्य सदन में प्रश्न करने का क्या औचित्य बनता है। जब सरकार का गठन हुआ था तो इनके घोषणा-पत्र में था कि जितने भी पैंशन के पैंडिंग एप्लीकेशन्ज़ हैं उन सबको पैंशन लगा देंगे। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह जिक्र किया गया है कि हमने अधिकांश अपने घोषणा-पत्र के वायदे पूरे कर लिए हैं। क्या इस प्रश्न के माध्यम से जो इनका घोषणा-पत्र है उसमें किया गया वायदा पूरा हुआ है या यह केवल जनता को गुमराह करने वाली बात है? क्या माननीय मंत्री जी इसी सत्र में यह सारी सूचना नाम व पते सहित देने की कृपा करेंगे?

Speaker: Hon'ble Minister, are you hiding the information or you have no information?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसमें 61,700 मामले अभी तक बनते हैं जिसकी सूचना इनको इमिडिएट देनी थी । परन्तु जब यह काम देखा गया कि बहुत ज्यादा है तो यह समझा गया कि यदि किसी माननीय सदस्य को उनकी तहसील या अपनी निर्वाचन क्षेत्र का ही ब्यौरा लेना हो तो वह तो देना सम्भव होगा किन्तु हम सारे एरियाज़ की सूचना देने बैठ जाएंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा और वह सूचना देना सम्भव नही होगा। लेकिन

01.04.2015/1100/negi/ag/2

जहां तक दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो कुछ कहा है, देखिए वह वायदा शायद पूरा किया नही।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर कुछेक आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा, अभी तक मैं समझता हूं कि सारे जितने भी केसिज़ इस प्रकार के हमारे पास आए हैं उसमें सिर्फ 38,166 मामले लम्बित हैं। और हमने ध्यान से...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

01-04-2015/1105/uk/ag/1

प्रश्न संख्या- 1900---जारी----

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री----जारी----
हमने ध्यान से शायद इस हिस्टॉरिक बजट को सुना गया होगा It has been given by a historic leader. It is a historic budget I should say in this House. 35000 cases have been given as sanction. मैं समझता हूं कि उसके बाद पास थोड़े से मामले और रह जाते हैं । अब सिर्फ 2 या 3 हजार मामले होंगे । यदि माननीय सदस्य, आप मुझे अप्रैल का महीना दे दें तो अप्रैल के अंत तक शायद ही कोई पेंडेंसी बाकी रहेगी ।

Speaker: Many people have this question.

श्री विजय अग्निहोत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो भी 80 साल से ऊपर के नॉन-पेंशनर्स हैं, उनको पेंशन देने की बात सरकार ने कही है । तो क्या 80 से ऊपर के जितने भी लोगों ने ऐप्लाई किया है, उसके लिए कोई अलग से बजट का प्रावधान किया है ? इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2015-16 मे कुल कितने व्यक्तियों को पेंशन दी गयी जिनकी उम्र 80 साल से अधिक थी क्योंकि यह जो 50,387 हैं ये तो वे हैं जो पहले से भी ले रहे थे, उन सबकी संख्या है,

यह वर्ष 2014-15 की है । क्या इनके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जायेगा ? यह पेंडेंसी कब तक पूरी कर ली जायेगी कि सबको पेंशन मिले ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही इसके आंकड़े दे दिए थे कि जो अभी तक पेंडेंसी हैं, मैं समझता हूं कि पिछले साल सबसे ज्यादा लगभग 5 हजार ऐप्लीकेशन्ज़ हमारे पास आईं थी । इसकी वजह रही कि 80 साल से ऊपर वालों को आय सीमा हटा दिया गया था । क्योंकि प्रतिबन्ध नहीं रहा तो मैं समझता हूं कि काफी ज्यादा मामले हमारे पास आए हैं और वह फिगर्स आपको दे दिए गए हैं । मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं । जो आपने ऐग्ज़ैक्ट डिटेल पूछी है, वह भी आपको आपकी कंस्टिचुएंसी के मुताबिक दे दी जायेगी । जैसे मैने कहा 3,04,921 अभी तक प्रदेश के पूरे मामले हैं और जैसा मैने कहा कि 35 हजार को दी

01-04-2015/1105/uk/ag/2

जा चुकी है । आपके लगभग 3 हजार कुछ मामले बचेंगे । जो प्रक्रिया के मुताबिक इसी महीने में पूरे हो जाएंगे । तो किसी भी प्रकार की पेंडेंसी नहीं रहेगी । ऐसा मेरा मानना है ।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो "क" भाग का उत्तर दिया, उसमें इन्होंने कहा 38,166 लम्बित मामले हैं । इनको कब निपटाया जायेगा, नम्बर वन ? दूसरे मेरा प्रश्न यह है कि जैसा इन्होंने कहा कि धन की वजह से सबको सूचना नहीं दी जायेगी । तो सारे प्रदेश का प्रश्न है, क्या सभी माननीय सदस्यों को नाम व पते सहित सूचना आप देंगे?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैने कहा कि यदि सदस्य चाहेंगे तो उनके चुनाक्ष क्षेत्र का और उनके तहसील का विस्तृत रूप से ब्योरा उनको शीघ्र ही दे दिया जायेगा । जिस प्रकार से इन्होंने मांगा है । परन्तु पूरे प्रदेश की सूची मांगी गयी थी जो संभव नहीं था । इनको यदि अपने निर्वाचन क्षेत्र का कुछ ब्योरा चाहिए तो इनके पास शीघ्र ही पहुंच जायेगा ।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं ।

Speaker: Kindly make a different question because the question has already been replied.

श्री जय राम ठाकुरः ये जो 38,166 लम्बित मामले हैं, क्या आपके पास डिटेल है कि इनमें से कितने ओल्ड एज के लिए आवेदन आए हैं, कितने विधवा के, कितने अपंग है, कितने 80 साल से उम्र से ज्यादा के आए हैं । अगर इस पूरी डिटेल पर आप प्रकाश डाल सकते हैं तो उचित रहेगा । दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की जानकारी भी चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि वर्तमान सरकार ने जो एक डिस्ट्रिक्ट वैलफेयर कमेटी गठित की जाती थी, जिसमें इस माननीय सदन

01-04-2015/1105/uk/ag/3

के भी सदस्य हुआ करते थे, पीछे आपने उनको हटा कर के नयी कमेटी बना दी थी । उसके पीछे क्या मंशा थी? जो कमेटी जिसमें हमेशा आज से पहले लगातार विधायक सदस्य हुआ करते थे ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

01.04.2015/1110/sls-jt-1

प्रश्न संख्या : 1900 ...जारी

श्री जय राम ठाकुर...जारी

डिस्ट्रिक्ट वैलफेयर कमेटी को बदलकर जिलाधीश की अध्यक्षता में नई कमेटी बनाई है। उसके बनाने की क्या मंशा रही होगी? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जब डिस्ट्रिक्ट वैलफेयर कमेटी के सदस्य माननीय इस सदन के सदस्य होते हैं जो उस जिले के विधायक भी होते हैं और एक वरिष्ठ मंत्री उस कमेटी का चेयरमैन होता है, उस कमेटी द्वारा चयनित सूची हमें नहीं मिलती है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगर जानकारी चाहते हैं ...(व्यवधान)...

Speaker: This is not connected with this question. This is not part of this question.

Shri Jai Ram Thakur : This is very important, Sir. इनके जो फालतू के चौधरी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, वह उस सूची को लेकर, पैंशन सैंक्शन होने से पहले ही उनकी चिट्ठी पात्र व्यक्तियों को चली जाती है।

Speaker: This is not part of this question.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी के सदस्य हम होते हैं और निर्णय करने का अधिकार मंत्री की अध्यक्षता वाली उस कमेटी को होता है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने जो ऐसे अनधिकृत रूप से बनाकर रखे हैं, उनके माध्यम से उन पात्र व्यक्तियों को, जिनको पैंशन लगनी होती है, पहले ही चिट्ठी चली जाती है। क्या इसके बारे में आप स्पष्ट करेंगे क्योंकि इस व्यवस्था को रोकने की आवश्यकता है। माननीय विधायक जो उस कमेटी के सदस्य हैं, क्या उनको ही आप इस सूचना को देने की कोशिश करेंगे और इसको सुनिश्चित करेंगे?

01.04.2015/1110/sls-jt-2

Speaker: Hon. Minister, you may not give information which is not connected with this question. Hon. Member, kindly make relevant question.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। जो दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है वह आज के प्रश्न से संबंधित नहीं है, उसके लिए अलग से प्रश्न करेंगे तो उत्तर दे दिया जाएगा। मैं आपको लंबित केसिज के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा कि 38,166 लंबित मामले हैं। जो हमारा ऐन्वल बजट प्रस्तुत हुआ है, जैसे मैंने बताया, उसके अनुसार 35000 मामलों में शीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा। इसकी बजट में सैंक्शन दे दी गई है। इसलिए जितनी भी सबस्टिच्यूशन होगी, जो प्रतिस्थापना होगी, मैं समझता हूं कि उसमें लगभग सारे केसिज कवर हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे खुशी की बात यह है कि इस साल का बजट पिछले साल के 234 करोड़ रुपये की तुलना में 317 करोड़ रुपये है और

इसमें 83 करोड़ रुपये का इज़ाफा हुआ है। This itself speaks the concern that our leader has shown in this budget. That I would like to reiterate once again. Secondly, the question that was put by the Hon. Member for the committee as such, I think, it is a separate subject by itself and that will be attended. But definitely, the people who have been put as Chairmen and are over seeing this committee are out of this House only. सबसे बड़ी बात मैं माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि जो पैंशन का पूरा डाटा है, जिलावार, तहसीलवार, पंचायतवार और कैटेगिरीवाईज भी वैलफेयर विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध है। वैबसाईट का पता है www.himachal.nic.in (SOMA). This can be obtained from this. It is available on the website. So, there cannot be any tampering. माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी भी प्रकार का संशय या किसी भी प्रकार का doubt हो,

01.04.2015/1110/sls-jt-3

that particular case can be referred to us. It can be gone into. But there should be no doubt in your mind. I think, the Department has done extremely well and I feel it is one of the most outstanding performances of the Department which is right in front of you. If there is a substitute required, he will automatically come on the software which has been created there. So, it is amply clear. There should be no doubt. If there is any doubt, it will be looked into.

Speaker: Shri Randhir Sharma. You can put a different supplementary.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न क्लब किया गया है इसलिए इसमें कुछ बातें रह गई हैं। मैंने जो प्रश्न किया था उसमें मैंने लंबित मामलों की सूचना जिलाशः मांगी थी। नाम और पते भी नहीं मांगे थे। इसलिए जिलाशः कितने-कितने लंबित मामले हैं, यह बताने में माननीय मंत्री जी का समय भी ज्यादा नहीं लगेगा, धन भी ज्यादा नहीं लगेगा। जो माननीय जय राम ठाकुर जी ने पूछा कि बुढ़ापा, अपंग और विधवा पैंशन के

कितने मामले हैं, अगर मंत्री जी जिलाशः आंकड़े बता दें तो अच्छा रहेगा क्योंकि मूल प्रश्न यह है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्षः यह सूचना इंटरनैट पर उपलब्ध है। It is available on the website.

श्री रणधीर शर्मा : इंटरनैट पर तो सर, सारी सूचना होती है।...(व्यवधान)...फिर क्वैश्चन ऑवर ही बंद कर दो।

जारी...श्री गर्ग जी

01/04/2015/1115/RG/JT/1

प्रश्न सं. 1900---क्रमागत

श्री रणधीर शर्मा------क्रमागत

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न यह है कि इन दो सालों में बहुत से ऐसे मामले हैं जिन लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेन्शन पिछले कई सालों से मिल रही थी, इन दो सालों में उनकी पेन्शन आनी बन्द हो गई और उनको इस बात की कोई सूचना भी नहीं दी गई। हमसे कोई पूछता है, जब हम विभाग से इस बारे में पता करते हैं, तो छोटी-छोटी बातों के कारण उनकी पेन्शन बंद होना कारण बताया जाता है, जैसे किसी का अकॉउन्ट नंबर नहीं है, किसी का कोई पेपर नहीं है इत्यादि-इत्यादि। परन्तु उनको इस बारे में न तो कोई सूचना दी जा रही है और न ही उनको कई-कई महीनों से पेन्शन मिल रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इनके ध्यान में ऐसे मामले हैं जिनकी पेन्शन बंद की गई? अगर ऐसे मामले इनके ध्यान में नहीं भी हैं, तो क्या ये आश्वासन देंगे कि जिनकी इन दो सालों में पेन्शन बंद हुई है जिन कारणों से उनकी पेन्शन बंद हुई है, उनको, उन कारणों की सूचना देकर उन कमियों को दूर करके उनकी पेन्शन को दुबारा दिया जाना शुरू किया जाएगा?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले जानना चाहा था और यदि आपका आदेश हो, तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं कि किस प्रकार से कितने मामले लंबित हैं, यह ब्योरा इनके पास आ भी जाएगा, यह 12 जिलों का

ब्योरा मेरे पास है। ये कुल 38,166 लंबित मामले हैं। बिलासपुर के 2,796, चंबा के 1,694, हमीरपुर के 3,333, कांगड़ा के 10,719, कुल्लू के 1,801, मण्डी के 7,914, शिमला के 1,963, सिरमौर के 1,564, सोलन के 2,436, ऊना के 3,662, किन्नौर के 224 और लाहौल के 60 हैं। इस प्रकार कुल योग 38,166 बनता है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदन को बताया था कि this year's budget is a historic budget given by a historic personality. Leader of the House has come. Hon. Chief Minister Shri Virbhadra Singhji has given a very good budget. Let us not digress ourselves. I just want to tell that all the Members have been given every thing that was asked. Discretionary Grant has been enhanced from Rs. 2 lakh to Rs. 4 lakh and the MLA Development Fund has been increased from Rs. 50 lakh to 75 lakh. So,

01/04/2015/1115/RG/JT/2

similarly, out of 38,166 pending cases, 35,000 cases were announced by the Leader of the House in the budget speech. So, you are left with a balance of only about 3,000 cases. Now those 3000 balance and substitution will be cleared because the budget for the last year is 234 crore and the budget for this year is 317 crore. There is an increase of Rs. 83 crore. और साथ-ही-साथ में प्रक्रिया भी चलती है जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, उस प्रक्रिया के अधीन if there is a death or there is something that the Gram Sabha finds that he or she is not entitled for that pension, it automatically goes to the TWO. After Tehsil Welfare Officer, it goes every quarter to the committee which is headed by the hon. Members themselves. So, that committee sees which is okay, then the orders go further and there is really no doubt in it. In case, there is any doubt, please let me know. We shall look into it. ----(व्यवधान)-

Speaker: Next question, Shri Anirudh Singh.

(श्री जय राम ठाकुर एवं श्री रणधीर शर्मा अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गए।)

Speaker: Enough of discussion. No, no. You can have information from the Hon. Minister later on. I cannot deal with one question for half an hour. Hon. Minister has already told you that the information can be had from the website or you can have the information from the Hon. Minister. So, no more question please. Kindly sit down. I will not allow.

01/04/2015/1115/RG/JT/2

प्रश्न सं. 1901

श्री अनिरूद्ध सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो नागरिक अस्पताल, जुन्गा में विभिन्न श्रेणियों के 18 पद भरे हैं, ये कौन-कौन से पद हैं और जो तीन पद रिक्त हैं ये कौन-कौन से पद रिक्त हैं? इसके अतिरिक्त जो ये 18 पद भरे हैं, क्या ये रैगुलर पोस्ट्ज हैं या इनमें से कोई डेपुटेशन पर भी हैं?

एम.एस. द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री शुरू

01/04/2015/1120/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 1901 क्रमागत---

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि 18 पद सैंक्शन्ड हैं। उनमें मेडिकल ऑफिसर्ज के दो पद हैं। एक पद भरा हुआ है और एक पद खाली है लेकिन उसके अंगेस्ट भी दिनांक 31 जनवरी, 2015 को दो डॉक्टर्ज के पद वहां भर दिए गए हैं। अभी यह सूचना नहीं है कि उन्होंने ज्वाइन किया है या नहीं किया हैं। डैंटल सर्जन एक है और वह पद भरा हुआ है। स्टाफ नर्सिज के सैंक्शन्ड दो पद हैं लेकिन चार लगाई गई हैं। दो नर्सिज सरप्लस हैं क्योंकि वहां इनडोर बैड चल रहे हैं इसलिए एक्स्ट्रा लगाई हैं। इस तरह से डैंटल सर्जन भी लगा है, स्टाफ नर्सिज भी लगी हैं और रेडियोग्राफर भी एक लगा हुआ है। मिड वाइफ के दो पद हैं जिनमें से एक पद भरा है और एक खाली है। इसी तरह से चीफ फार्मासिस्ट का एक पद भरा हुआ है तथा वार्ड सिस्टर का भी एक पद भरा हुआ है। जो पद खाली हैं, उनमें एक पद कुक का खाली है और क्लास फोर के दो पद खाली हैं। इस तरह से 18 के अंगेस्ट सिर्फ तीन पद खाली हैं। हालांकि वहां पर दो स्टाफ नर्सिज सरप्लस लगी हैं लेकिन फिर भी मैं आश्वासन देता

हूं। वर्ष 1989 में यह सिविल अस्पताल बना था लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त सिविल अस्पताल के नॉर्म्ज के मुताबिक पद स्वीकृत नहीं हुए थे अब यह मामला हमने वित्त विभाग से उठाया है और जैसे ही वित्त विभाग से मंजूरी आएगी, केबिनेट से इसको एप्रूव करवा दिया जाएगा।

अध्यक्षः आपको सारी सूचना तो मिल गई है।

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि सिविल अस्पताल जुन्गा में डॉक्टर्ज की बहुत कमी है। सरकार ट्रांसफर तो करती है परन्तु डॉक्टर्ज वहां जाना पसन्द नहीं करते हैं। मैं एक घटना मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि डॉक्टर्ज के अभाव में दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को गांव डल्याणा, ग्राम पंचायत जुन्गा के एक लड़के की मृत्यु वहां पर नाइट ड्युटि पर डॉक्टर्ज न होने के कारण हुई है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वहां किसी अच्छे डॉक्टर की तैनाती की जाए और जिसकी वहां के लिए ट्रांसफर करेंगे, इस बात को एन्श्योर करें कि उसकी ट्रांसफर कैंसिल न हो और वह वहां ज्वाइन करे।

01/04/2015/1120/MS/AG/2

Health & Family Welfare Minister: Mr. Speaker, Sir, I think Junga is one of the best destinations for any Doctor and paramedical staff. In fact, only two posts were sanctioned out of which one is filled up. As I have said, we have already posted two Doctors on 31.01.2015. It is yet to be found out whether they have joined or not. We have already taken action. This is a Civil Hospital. According to the norms of Civil Hospital which we have prescribed and approved from the Cabinet, we will take necessary steps to fill up those posts and senior Doctor will also be posted there.

प्रश्न समाप्त/

01/04/2015/1120/MS/AG/3

प्रश्न संख्याः 1902

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आज तक यहां पर इन्होंने पार्किंग की व्यवस्था के बारे में बताया है, उसके मुताबिक 703 गाड़ियों के लिए पार्किंग हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये पार्किंग्स कब-कब बनी हैं और कब से ऑप्रेशनल हुई हैं? इसके अलावा, शिमला में कुल कितनी गाड़ियों के लिए पार्किंग की आवश्यकता है? फिर जो पार्किंग संजौली, छोटा शिमला, विकास नगर और लिफ्ट के पास बन रही हैं, वे कब तक बनकर तैयार हो जाएंगी और लोगों के लिए उपयोग में आ जाएंगी? क्योंकि वर्ष 2012 में संजौली में पार्किंग बननी शुरू हुई थी और वर्ष 2013 तक वह बनकर तैयार भी हो गई थी। लेकिन अभी तक उसको ऑप्रेशनल नहीं किया जा रहा है। वहां पर गाड़ियां सड़क के किनारे सेंट बिड्ज कॉलेज या पिछली तरफ मेडिकल कॉलेज तक खड़ी रहती हैं। उस पार्किंग को यूज के लिए कब तक सौंप दिया जाएगा? बाकी जो पार्किंग्स इन्होंने बताई हैं, उनमें सब जगह फॉरैस्ट लैण्ड आ रही है और फॉरैस्ट लैण्ड की परमिशन आजकल प्रदेश में ही शायद एक हैक्टेयर तक दी जाती है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

1.4.2015/1125/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 1902------जारी--------

श्री सुरेश भारद्वाजः----जारी------

फोरैस्ट लैंड की परमिशन प्रदेश में ही शायद एक हैक्टेयर तक दी जाती है। क्या उस लैंड को लेने का प्रयास किया जाएगा ताकि उस लैंड को ले लिया जाए? एक पार्किंग डी.डी.यू. हॉस्पिटल के साथ बताई गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस पार्किंग को किस निधि से बनाया जा रहा है? माननीय मंत्री ने हिमुडा कहा है। हिमुडा ने कहां पर शिमला में पार्किंग बनाई है? यह भी बताने की कृपा करें।

शहरी विकास मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, शिमला में जहां तक पार्किंग का सवाल है, पिछले सत्र में भी माननीय सदस्य, श्री सुरेश भारद्वाज जी का प्रश्न आया था। अभी पब्लिक पार्किंग में शिमला शहरा में 711 वाहनों की व्यवस्था है। जहां तक आपने संजौली की कार पार्किंग की बात की, इसके जो चार फ्लोर हैं वे 10 अप्रैल से चालू हो जाएंगे और जिसमें 230 गाड़ियों की व्यवस्था होगी। इसके अलावा जो लिफ्ट के पास कार पार्किंग बन रही है यह अक्तूबर, 2016 तक तैयार होने की सम्भावना है। जहां तक छोटा शिमला की कार पार्किंग है वह इस वर्ष दिसम्बर के महीने तक कम्पलीट हो जाएगी। जिसमें 250 गाड़ियों को पार्क करने का प्रावधान है। एक और पार्किंग जो कि विकास नगर में प्रस्तावित है, जिसकी अभी केबिनैट से क्लीयरैंस होनी है। वह क्लीयरैंस होने के बाद उस पार्किंग का काम शुरू होगा। ये चारों पार्किंग बी.ओ.टी. के आधार पर बन रही है। इसके अलावा जो अन्य पार्किंग शिमला शहर में है उसमें 20 कार पार्किंग है, जिसमें 523 गाड़ियों को पार्क करने का प्रावधान है। इसके अलावा जो रोड़ साईड के ऊपर पार्किंग होती है उसमें 188 गाड़ियां पार्क होती है। इसके अतिरिक्त 49 साईट्स आईडैंटिफाईड हैं। उनमें अभी फॉरैस्ट क्लीयरैंस की प्रक्रिया चल रही है। उसमें 5 जो पार्किंग है वह हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बननी प्रस्तावित है। 3 पार्किंग में केन्द्रीय विभाग शामिल है। 29 वन विभाग की है। 5 पार्किंग नगर निगम की है और 7 पार्किंग अन्य विभागों की भूमि पर बनना प्रस्तावित है। मैं माननीय सदस्य को यह

1.4.2015/1125/जेके/एजी/2

बताना चाहूंगा कि जो फोरैस्ट क्लीयरैंसिज के केस हैं उनको प्रायोरिटी पर लेंगे ताकि जो 49 प्रस्तावित पार्किंग है जिनमें 2012 गाड़ियों को पार्क करने का प्रावधान होगा। इनका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो। इसके अलावा अभी हाल ही में इसी महीने सरकार ने 845 गाड़ियां सर्कुलर रोड़ साईड में पार्क करने के लिए अनुमति दी है। साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार हर व्यक्ति की जो पर्सनल गाड़ी है उसको पार्क करने के लिए प्रावधान नहीं कर सकती है। इसके लिए एक ऑलटरनेट है। हमने यह किया है कि जो नया टी.सी.पी. एक्ट आया है उसके द्वारा जो भी नक्शे पास होंगे और जहां गाड़ी जाती है उनको मेंडेटरी किया गया है कि एक फ्लोर पार्किंग के लिए रखा जाए। आपने एक और सप्लीमेंट्री की थी कि ये पार्किंग कब-कब बन कर तैयार हुई है

इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि यह मूल प्रश्न नहीं था लेकिन यह जानकारी आपको इसी सत्र के दौरान लिखित रूप में दे दी जाएगी।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहा था कि जो डी.डी.यू. पास जो पार्किंग बताई गई है वह किसके द्वारा बनाई जा रही है? हिमुडा ने कौन सी पार्किंग बनाने का काम शिमला में प्रारम्भ किया है?

दूसरे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पैसे की उपलब्धता पर पार्किंग का काम शुरू किया जाएगा। जैसे कि 3-4 पार्किंग पी.पी.पी. मोड के ऊपर बन रही है। जिसमें काफी बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी हो सकती है। इसी तरह से और भी जगह शिमला में आईडेंटिफाई की गई हैं, जिन पर कि इस प्रकार की पार्किंग बन सकती है। जैसे कि ऑकलैंड टनल के पास बहुत बड़ा स्थान अवेलेबल हुआ है। वहां पर मल्टी स्टोरीज पार्किंग बनने की प्रोपोज़ल पहले से चल रही है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----------

01.04.2015/1130/SS-JT/1

प्रश्न संख्याः 1902 क्रमागत

श्री सुरेश भारद्वाज क्रमागतः

इसी प्रकार से तीन-चार और भी स्थान हैं जहां पर बोर्ड ने ऑलरेडी सर्वे इत्यादि किये हुए हैं। अगर आपके पास पैसा उपलब्ध नहीं है तो क्या उन पार्किंग को भी पी0पी0पी0 मोड पर जल्द बनाने का प्रयास माननीय मंत्री जी करेंगे?

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो डी0डी0यू0 के पास पार्किंग बननी है उसकी बात की है। अभी इसमें नगर-निगम की हिमुडा के साथ बातचीत चल रही है उसके ऊपर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। जहां तक आपने कहा है कि जो अन्य 49 प्रस्तावित पार्किंग्ज़ हैं निस्संदेह पूरी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जायेंगी कि ये पार्किंग पी0पी0पी0 मोड पर, जहां बनना सम्भव हो, वहां बनें। लेकिन साथ ही जो इस वर्ष का बजट आया है उसमें प्रावधान किया गया है कि 50 प्रतिशत सरकार धनराशि देगी और 50 परसैंट उसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ कंट्रीब्यूट करेगी। अगर उनके पास

संसाधन नहीं हैं तो पी0पी0पी0 मोड में जहां तक सम्भावना होगी उसको एक्सप्लोर किया जायेगा।

जो आपने ऑकलैंड टनल के पास वाली पार्किंग की बात की है उसको भी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में कंसीडर किया जायेगा।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, काफी हो गया।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, शिमला शहर हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और यहां पर सारी दुनिया से पर्यटक आते हैं। पार्किंग की समस्या और जाम लगने के कारण इसकी दुर्दशा हो रही है। इसलिए यहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पार्किंग की ओर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं सिर्फ एक बात बारम्बार कहना चाहता हूं कि जो डी0डी0यू0 के पास पार्किंग प्रस्तावित है, विभाग और इनका नगर-निगम जिनको सांसद भी पैसे दे रहे हैं, विधायक भी पैसे देते हैं, वे उस पैसे से भी काम नहीं करते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि डी0डी0यू0 के पास जो पार्किंग बन रही है उसके लिए राज्यसभा की सांसद, श्रीमती बिमला कश्यप द्वारा पैसा दिया गया था? नगर-निगम आज तक भी उस पार्किंग पर कोई काम नहीं कर सका है। उसके ऊपर कोई एस्टीमेट बनाने संबंधी काम आज तक नहीं करवा सका है।

01.04.2015/1130/SS-JT/2

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?

शहरी विकास मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि जो डी0डी0यू0 के पास पार्किंग बननी प्रस्तावित है उसके लिए जो धनराशि आई है उसमें पूरी पार्किंग नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी उस पार्किंग को बनाने के लिए हिमुडा के साथ नगर-निगम की बातचीत चल रही है। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि शीघ्र ही इसका कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

प्रश्न समाप्त

01.04.2015/1130/SS-JT/3

प्रश्न संख्याः 1903

अध्यक्षः श्री अजय महाजन, मंत्री जी आप बैठिये। मैडम स्टोक्स, आप बैठ जाईये। अजय महाजन जी, आप प्रश्न पूछिये।

Sh. Ajay Mahajan: Mr. Speaker, Sir, through you, I would like to ask from the Hon. Minister that is it not a fact keeping in view the topography and the requirement of the people of Nurpur and other six constituencies and also keeping in view the criteria of opening new trauma centres, the Hon. Chief Minister in the last Budget Session announced two trauma centres: one at Nurpur and the other at Rampur? So, I would like to request the Hon. Minister if he could take up the cases with the Central Government at the earliest and in full earnest.

Health & Family Welfare Minister: Speaker, Sir, this is a fact that in the budget speech of 2013-14, Hon. Chief Minister had announced opening of three trauma centres in the State. But, unfortunately, after the Central Government team visited the State, the Ministry of Health & Family Welfare recommended to establish trauma centres under 12th Five-Year Plan in the following health institutions:

जारी श्रीमती के0एस0

1.04.2015/1135/केएस/जेटी/1

प्रश्न संख्याः1903 जारी---

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी अंग्रेजी----------

Dr. Rajendra Prasad Govt. Medical College, Tanda, - Level II; District Hospital, Chamba, - Level III; District Hospital, Hamirpur, - Level III; District

Hospital, Mandi, -Level III; and Mahatama Gandhi Referral Hospital, Khaneri in Rampur, - Level III. The scheme envisages providing financial assistance of Rs. 150 lakh per hospital for upgrading emergency services to tackle trauma care cases. This will remain in force till 31st March, 2017 or till renewal through mutual agreement whichever is earlier. The proposed grant will be shared between Central Government and State Government in the ratio of 90:10. The State Government will contribute their share of the total expenditure as approved by CCEA. At present, two trauma centres at Regional Hospital, Bilaspur, and Regional Hospital, Kullu, are functioning in the State. Since Civil Hospital, Nurpur, does not have infrastructure facilities to establish trauma centre of Level III, but still we will request the GOI to again visit that institution and recommend it for trauma centre.

प्रश्न समाप्त

1.04.2015/1135/केएस/जेटी/2

प्रश्न संख्याः 1904

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा और आग्रह भी करूंगा कि मेरे प्रश्न के "ख" भाग में उत्तर दिया गया है कि जी नहीं, ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। मेरा आग्रह है कि डिविज़न ऑफिस रोहडू में हैं, सर्कल ऑफिस रोहडू में है, वहां पर विश्राम गृह खोलने का विचार किया जाए क्योंकि इसकी वहां पर बहुत आवश्यकता है । क्या सरकार वहां पर विश्राम गृह बनाने का विचार रखती है?

Speaker: Hon. Minister, do you have any proposal for making a rest house?

Irrigation & Public Health Minister: Speaker, Sir, there are nine Rest Houses, 55 Inspection Huts and two Gang Huts at various places under the control of IPH Department. Detail is given in Annexure-A which I will give him separately. There is neither any proposal under the consideration of Government for construction of rest houses at Rohru, nor there is any

budget provision for this work. But in any case, I will let him know if I can give you more detail later on. Thank you, Sir.

Concluded.

1.04.2015/1135/केएस/जेटी/3

प्रश्न संख्याः 1905

अध्यक्षः श्री सतपाल सिंह सत्ती (अनुपस्थित)

1.04.2015/1135/केएस/जेटी/4

प्रश्न संख्याः 1906

Irrigation & Public Health Minister: Speaker, Sir, I have to give Hon. Member the detail of the schemes. There are total four schemes. Two schemes are in progress and two schemes which were completed, but got damaged. You know that those were damaged totally. Repair of these schemes has been taken as per the flow of funds. Completion of schemes will also be expedited. Things were very bad in shape. So, Hon. Member knows that. Thank you, Sir.

Shri Ravi Thakur: Speaker, Sir, in case the information supplied by the Department is incorrect, what action will be taken against them? Is there any provision of sending the concerned team to Lahaul-Spiti Constituency so that I can supply them concrete documents/statements of aggrieved people and show the ground reality of all these schemes?

Contd....ag/av

1.4.2015/1140/jt/av/1

प्रश्न संख्या : 1906-------- क्रमागत

Shri Ravi Thakur Continues . . .

Is it right to take the questions of representative who is the only one to address the grievances of the people in the Vidhan Sabha and the Government so lightly? I would like to ask from the Hon'ble Minister. Will you send the team please?

Irrigation & Public Health Minister: If you want then we will be sending a team to you so that you can very well examine the whole thing. The team will have to be sent to them and only then it will be worked out.

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि जो स्कीम 20 वर्षों से चली हुई है वह पूरी नहीं हुई है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य से वही बात की है। हमने जो डिटेल में इनको स्कीम दी है वह स्कीम प्रोग्रैस में है। हम उसमें यह चाहते हैं कि आपके पास टीमों को भेजेंगे और वहां देखने के बाद फिर उसका काम शुरु करेंगे।

समाप्त

1.4.2015/1140/jt/av/2

प्रश्न संख्या : 1907

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आर.टी.आई. के द्वारा ली गई सूचना के आधार पर मैंने इस केस की शिकायत 11 मार्च, 2014 को की थी। स्टेट विजिलैंस एण्ड ऐंटि करप्शन ब्यूरो द्वारा उसकी एफ.आई.आर. 5 महीने के बाद लॉज की गई। एफ.आई.आर. लॉज होने के 8 महीने बाद उसमें ऑफिशियल्ज अरैस्ट हुए जिसमें एस.डी.ओ. (रिटायर्ड), जे.ई. (नगर पंचायत),कांट्रैक्टर और सेनिटरी इनस्पैक्टर शामिल है। मगर अगले दिन

उनको कोर्ट द्वारा छोड़ दिया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी जीरो टोलरैंस ऑफ करप्शन की बात करते हैं। It is clear cut case of corruption and embezzlement of Rs. 2,92,400/- pocketed by these officials. यह मामला वर्ष 2013 का है और इस संदर्भ में मार्च, 2014 में शिकायत दर्ज हुई। 14 महीने बीत जाने के बाद भी डिफॉल्टर्ज उसी ऑफिस में काम कर रहे हैं। Even after their arrest they have not been posted out and suspended. मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस केस में डीले क्यों हो रही है तथा इन ऑफिशियल्ज को आप वहां से हटा क्यों नहीं रहे हैं क्या इससे इनवैस्टिगेशन हेम्पर नहीं होगी? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस केस की जांच के लिए आप कोई समयसीमा तय कीजिए। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं। आप इस बारे में समयसीमा निर्धारित कीजिए ताकि कोर्ट में चालान जल्दी-से-जल्दी पेश किया जाए। यह केस पूरी तरह से भ्रष्टाचार का है और Nagar Panchayat, Sarkaghat has become hub of corruption. मैंने इस बारे में कई बार डायरैक्टर (यू.डी.) से बात की और personally I met him. Nothing has taken place. If a case like this takes more than a year (fourteen months) to investigate and the officials are still in the office then how can you have zero tolerance on corruption?

1.4.2015/1140/jt/av/3

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस मामले के संदर्भ में प्रश्न पूछा है उसमें स्टेट विजिलैंस एण्ड ऐंटि करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है। इसमें 12.8.2014 को एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी। उसके बाद वहां पर तैनात जे.ई. और सेनिटरी इनस्पैक्टर को अरैस्ट किया गया। उनको मण्डी (स्पैशल जज) कोर्ट में पेश किया गया जहां पर उनको 23 से 26 मार्च तक रिमाण्ड में लिया गया। यह सही है कि इस मामले को माननीय सदस्य द्वारा ही ध्यान में लाया गया था और उसमें यह पाया गया कि धांधली हुई है। इसमें वहां के चार इम्पलॉइज इनवॉल्व्ड हैं जिनके लिए डायरैक्टर (अर्बन डिवैल्पमैंट) ने चार्जशीट इनिशिएट कर दी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वे शीघ्र ही चार्जशीट होंगे और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।

श्री बी जे द्वारा जारी

01.04.2015/1145/negi/ag/1

प्रश्न संख्याः 1907..जारी...

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब तो दिया नहीं। क्या वे ऑफिशियल्ज वहीं रहेंगे या उनको बाहर निकाला जाएगा ताकि इन्वैस्टिगेशन हेम्पर न हो? They must be shunted out from there.

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब तक यह इन्वैस्टिगेशन की प्रक्रिया पूरी नही हो जाती तब तक ये जो कर्मचारी हैं इनको वहां से बदल दिया जाएगा और वहां पर इनके स्थान पर जो अन्य अधिकारी/कर्मचारी हैं उनको भेजा जाएगा।

समाप्त

01.04.2015/1145/negi/ag/2

प्रश्न संख्याः 1908.

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है, उसमें C/o HSC चढियार में 50 परसेन्ट कार्य किया हुआ दर्शाया गया है । जबकि इसमें 3.89 लाख रूपये खर्च हुए हैं और इसकी टोटल ऐस्टिमेटिड कॉस्ट 16.23 लाख रूपये है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि एक तो इसको सही करवायें, क्योंकि मैंने स्वयं इसको देखा है, वहां पर केवल आधे पिलर खड़े किए गए हैं और इसका रि-टैंडर भी हुआ है। दूसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चण्डी में स्टॉफ क्वाटर व मीटिंग हॉल तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्र बधोनिघाट में चार दीवारी के निर्माण के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस बजट में इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के कॉम्युनिटी हेल्थ सेन्टर, प्राइमरी हेल्थ सेन्टर और स्वास्थ्य उप-केन्द्र भवनों के निर्माण स्थिति के बारे में पूछा है। लेकिन यह इन्होंने ठीक कहा है कि चढियार जो इनका स्वास्थ्य उप-केन्द्र है उसमें 16.23 लाख की ऐस्टिमेटिड कॉस्ट है। यह जो इंफोर्मेशन है,

पी.डब्ल्यू.डी. ने हमें दी है और उन्होंने कहा है कि उसमें 3.89 लाख रूपये खर्च हुआ है और 50 परसेन्ट काम पूरा हो चुका है । लेकिन इसमें मैं सोचता हूँ कि पी.डब्ल्यू.डी. की सूचना ठीक नही आई है। शायद वह यह एमाउंट 31 मार्च तक का हमें बाद में देंगे। सी.एच.सी. बद्दी के लिए 133.71 लाख रूपये है और मैं आपसे चाहूंगा कि जो लैंड है, मैं खुद भी उस सी.एच.सी. में मौके पर गया था, अगर लैंड डी.सी. साहब ट्रांसफर कर दें तो इसका बहुत जल्दी भवन बनाया जाएगा क्योंकि पैसा उनके पास उपलब्ध है। जहां तक चढियार की बात है, उसकी साइट डिवलपमैन्ट कम्पलीट हुई है न कि 50 परसेन्ट काम पूरा हो चुका है। अभी तो साइट डिवलपमैन्ट पर ही पी.डब्ल्यू.डी. ने यह पैसा खर्च किया है। इसी तरह से हेल्थ सब-सेन्टर रामपुर है, उसके लिए भी हमने 25.93 लाख रूपये दे दिया है। लेकिन 3 स्थानों पर जगह छांटी गई है और अब आप डिसाइड करेंगे कि उसके लिए कौन सी

01.04.2015/1145/negi/ag/3

जगह सुटेबल रहेगी । इसी तरह से हमने हेल्थ सब-सेन्टर बाडोनिघा के लिए भी 15.75 लाख रूपये दिया था और इसमें से उन्होंने थोड़ा पैसा साइट डिवलपमैन्ट के लिए ही खर्च किया है। इसलिए मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पैसे की कमी नही है, पैसे हमने सारे दे दिए हैं। कई जगह, स्थान उपलब्ध नही है। कई जगह यह फाइनल करना है कि कहां कंस्ट्रक्ट करना है और कई जगह लैंड डिवलपमैन्ट का काम चला हुआ है । मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि स्टॉफ क्वाटर और चार दीवारी के लिए भी हमने वर्ष 2015-16 के बजट में पैसों का प्रावधान कर लिया है।

श्री राम कुमारः पी.एच.सी. चण्डी और स्वास्थ्य उप केन्द्र बधोनिघाट के लिए कितनी राशि रखी है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : वह राशि तो आप उसमें देख लें जो हमने बजट बुक दी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितनी भी राशि की आवश्यकता होगी और पी.डब्ल्यू.डी. जितना काम करेगा उनको राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी ।

समाप्त

अगला प्रश्न श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

01-04-2015/1150/uk/जेटी/1

प्रश्न संख्या- 1909

श्री बिक्रम सिंह ठाकुरः माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना आई है इसमें देहरा सब डिवीज़न में 82 हैंडपम्प लगे हैं, जिसमें से ज्वाला जी मे 39, देहरा में 39 तथा जसवां परागपुर में केवल 4 हैंड पम्प लगे हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जसवां परागपुर विधान सभा क्षेत्र से यह अन्याय क्यों? यदि है तो उसका कारण बताया जाए ? वर्ष 2014-15 में हैंडपम्प लगाने के लिए कब निविदाएं हुई और देहरा मंडल में इस वर्ष में कुल कितने हैंडपम्प लगाए जाने का प्रावधान है? यह जो आपने हैंडपम्प यहां लगाए हैं 39, 39, 04, ये किस-किस मद से लगाए गए हैं, इसका ब्योरा भी देने की कृपा करें?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि in IPH Division, Dehra, 82 hand pumps have been installed during the period Ist January, 2014 to 15th February, 2015. Constituency-wise break-up has been given in the reply. Number of hand pumps installed are: ज्वालामुखी में 39, देहरा मे 39 हैं तथा जसवां परागपुर में 4 हैं, इसमें काई शक की बात नहीं है । कुल 82 हैं । ये आपकी कंस्टिचुएंसी वाईज़ डिटेल है । 15 फरवरी, 2015 के अन्दर हुए हैं जो इन्स्टॉल हुए हैं । उनके बारे में भी हम बता रहे हैं कि जसवां परागपुर में 460 हैं, ज्वालामुखी में 551 है, ये 2013 से 2015 तक के हैं । (व्यवधान). सुनिए आप 2013 से 2015 के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी ताकि आपको तसल्ली हो जाए । हम आपको यह कहना चाह रहे हैं । (व्यवधान), अरे सुन तो लीजिए । आप बहस करने लग जाएंगे तो हम बात ही नही कर सकेंगे । हम आप ही को बताना चाह रहे हैं । तो 4 हैंडपम्प जो आप कह रहे हैं ये हमने 01.01.2014 से 15-02-2015 में इन्स्टॉल किया है । And total hand pumps installed in the Dehra Division are as it is: ज्वालामुखी में मैने आपको बताया 590, देहरा में 435 है और जसवां परागपुर में 464 हैं । Hand pumps are being installed on need basis. जहां-जहां जरूरत हैं, वहां हम देंगे । आप तसल्ली रखिए । इसके अलावा कहीं और भी यदि आप चाहते हैं कि कहां चाहिए उसके लिए सुइटेबल जगह आप बता दीजिए

तो उनको भी हम देंगे । हम आपको हैंडपम्प्ज़ क्यों नहीं देगें? बिल्कुल देंगे, हैंडपम्प्ज़ नही देने के कोई रीज़न्ज़ नहीं है कि इस कारण से हम नहीं देंगे । हो सकता है कि आप ही की सरकार के समय में यह कमी रही होगी तो आपको दिक्कत आ रही होगी (व्यवधान) आप पहले देख तो लीजिए, तीन-चार या पांच-छः जगह देख लीजिए, हम ट्राई करेंगे, जहां पानी निकलेगा वहां आपको हैंडपम्प जरूर मिलेगा । क्यों नहीं मिलेगा ?

अध्यक्षः काफी डिटेल में इन्होंने जवाब दे दिया है ।

श्री बिक्रम सिंह ठाकुरः अध्यक्ष जी, मैने जो डिटेल मांगी है, हमे वह डिटेल चाहिए । हमारी सरकार के समय में कितने लगे, उसकी डिटेल मैने नहीं मांगी । मैने यह कहा है कि हमारे यहां इतने कम हैंडपम्प लगे हैं जब कि मेरे विधान सभा क्षेत्र से 115 जगहों से हैंडपम्प लगाने के लिए की डिमांड गयी है और माननीय मंत्री जी कह रहीं हैं कि एज़ पर डिमांड लगाएंगे । (व्यवधान) कौन कहता है कि ड्राई एरिया है, ड्राइ आपका है । मैडम जी, कांईडली आप इसका सही जवाब दें । आपने हमारे यहां सिर्फ 4 हैंडपम्प ही क्यों लगाए ? बाकी जगहों पर जो आपने कुल 82 हैंडपम्प बताए हैं उनमें से केवल 4 ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में आए हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर लोगों की डिमांड है, पंचायतों से रेज़ोलूशन गए हैं, डी0सी0 साहब से वे लोग मिले हैं। मैने खुद जा कर डी0सी0 साहब को बोला है कि हैंडपम्प के लिए प्रावधान किया जाए। तो क्या कारण हैं कि वहां पर इतने कम हैंडपम्प लगे ? मैने उसके साथ आपसे यह भी पूछा है कि 2014-15 के लिए हैंडपम्प लगाने के लिए टेंडर कब किए गए और यह भी पूछा है कि इस साल आपने हैंडपम्प लगाने के लिए कितने धन का प्रावधान किया है ?

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

01.04.2015/1155/sls-jt-1

प्रश्न संख्या : 1909 ...जारी

श्री बिक्रम सिंह...जारी

और जो हैंड पम्प लगे हैं वह किस-किस मद से लगे हैं? इनमें से अभी तक किसी का भी उत्तर नहीं आया।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि अगर इन्हें हमसे कोई शिकायत है उस शिकायत को हम मानते हैं। लेकिन अगर आपने लिखकर भी नहीं भेजा और बताया तक नहीं कि हमारे क्षेत्र में हैंड पम्प नहीं लग रहे हैं, तो हम कैसे लगाएं। जहां-जहां लोगों ने मांग की है वहां लगे हैं। उसी तरीके से आपको भी कहना चाहिए था कि यहां-यहां हैंड पम्प की ज़रूरत है। आपने हमें कभी नहीं बताया। आपने डी.सी. की बात भी कही। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपकी शिकायत को मैं देख रही हूं और मैं इस काम को करूंगी। आप इसमें यकीन करिए कि आपकी जो शिकायत है उसको हम पूरी तरह से दूर करेंगे। अगर यह नहीं होगा तो हम इसकी जिम्मेवारी लेंगे।

समाप्त

01.04.2015/1155/sls-jt-2

प्रश्न संख्या : 1910

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके अनुसार वर्ष 2013-14 और 2014-15 में 106 मामले अवैध कटान के पाए गए जिनमें से 31 मामले कंपाऊंड कर दिए गए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो शेष मामले हैं उनको अभी तक क्यों कंपाऊंड नहीं किया गया और जो मामले कंपाऊंड किये गए, क्या उनको पिक एंड चूज के आधार पर कंपाऊंड किया गया? अगर आप इस उत्तर को देखें तो सीरियल नंबर 44 पर प्रेम सिंह सपुत्र श्री बसंत लाल है, उसके बाद सीरियल नंबर 48 पर भी वही व्यक्ति है। सीरियल नंबर 45 पर नैन सिंह है और यही व्यक्ति सीरियल नंबर 49 पर भी है। इसी तरह सीरियल नंबर 46 पर जो व्यक्ति है, वही सीरियल नंबर 50 पर भी है। इसलिए इनमें कुछ मामले दो-दो बार आए हैं। कुछ

मामले कंपाऊंड कर दिए गए हैं और कुछ मामले शेष बचे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इन मामलों को राजनीतिक आधार पर किया जा रहा है?

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय ने बात की है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसमें राजनीतिकरण की कोई बात नहीं है। जो 31 मामले आपने लंबित बताए हैं, इनको 3 महीनों के अंदर डिसपोज किया जाएगा। ऐसे मामले गरीब आदमी के होते हैं जो पैसे देने में असहाय होता है। वह कमर्शियल परपज से पेड़ नहीं काटते बल्कि अपने प्रयोग के लिए काटते हैं। इसलिए यह मामले लंबित पड़े हैं। अब यह मामले 3 महीनों के भीतर-भीतर समाप्त किए जाएंगे।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो 17 मामले हैं वह वर्ष 2013-14 से लंबित हैं। इसमें देखने की बात यह है कि एक ही व्यक्ति बार-बार इन पेड़ों को काट रहा है। क्योंकि दो-दो मामले एक ही व्यक्ति के नाम से बार-बार आ रहे हैं। इसके अलावा एक मामला दिसम्बर 2014 का है जिसमे कि मात्र 2 ही पेड़ दिखाए गए हैं जबकि

01.04.2015/1155/sls-jt-3

वहां पर दर्जनों पेड़ कटे थे। उसमें एफ.आई.आर. भी हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसमें आगे क्या प्रगति और कार्रवाई हुई है?

वन मंत्री : जहां तक विधायक महोदय ने कहा कि बार-बार एक ही व्यक्ति दरख्त काट रहा है, यह बात आपने सरकार के ध्यान में लाई है। इसकी छानबीन की जाएगी और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

प्रश्न काल समाप्त

01.04.2015/1155/sls-jt-4

अध्यक्ष : डॉ० राजीव बिंदल जी, आप क्या बोलने चाहते हैं?

डॉ० राजीव बिन्दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके पास एक कॉलिंग अटैंशन के लिए गुज़ारिश की थी। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि शिक्षा विभाग में सामान

खरीदने के लिए जो आर.सी. हुआ है, वह 90 लोगों का हुआ। परंतु विभाग के अधिकारी ने चिट्ठी लिखकर 2 लोगों का नाम अंकित करके पूरे जिले में चिट्ठी प्रेषित कर दी है। ..

जारी...श्री गर्ग जी

01/04/2015/1200/RG/JT/1

डॉ. राजीव बिन्दल-----क्रमागत

दो लोगों का नाम अंकित करके चिट्ठी पूरे जिले में प्रेषित कर दी है कि इन कम्पनीज़ एवं फर्मों से माल लिया जाए। यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसलिए मैंने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिए और मेरी बात सुनिए। अगर आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, तो उसका प्रॉपरली प्रोसीजर किया जा रहा होगा, सरकार को भेजा होगा। जब उसका जवाब आएगा, तो वह लगा दिया जाएगा या जैसा भी होगा। But there is no time to discuss this Calling Attention Motion now because your Call Attention Motion which might have given must have been sent to the Government. जब उसका उत्तर आ जाएगा, तो आपको भी मिल जाएगा। इसलिए अभी इस पर चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष : हां, बोलिए क्या है?

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, पहले ही दिन सदन में हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था कि जो हमारे पार्टी कार्यालय पर हमला हुआ, उसमें लोगों को चोटें आईं और एक व्यक्ति की आंख फट गई। उसके बारे में सरकार कार्रवाई करे। लेकिन 31 मार्च निकल गया, बजट पास हो गया और उस मामले पर अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न कोई इनवेस्टीगेशन हो रही है और न ही उसकी कोई प्रॉपर इन्क्वायरी हो रही है और जो हमने मांग की थी न ही उस पर कोई ऐक्शन लिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि उस मामले में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, क्या मामले में प्रॉपर इनवेस्टीगेशन हो गई है और जो कलप्रिट्ज हैं क्या उनको behind the bar पहुंचाया जाएगा और अभी तक एम.एल.सीज़ भी नहीं लिए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मेरा एक और निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की एक टिप्पणी अख़बारों में आई है कि 'भाजपा के विधायक वॉक ऑऊट करते हैं इसलिए वे डी.ए. के हक़दार नहीं हैं।' तो मैं जानना चाहूंगा कि इनके जो विधायक यहां बैठेते ही नहीं हैं जो कुछ नहीं करते हैं क्या वे डी.ए. के हक़दार हैं? जो यहां बैठते भी नहीं हैं। तो इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वॉक ऑऊट तो प्रजातंत्र में विपक्ष का अधिकार है। जब हम किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उस पर

01/04/2015/1200/RG/JT/2

हम वॉक ऑऊट कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है। आप हमको कहें कि ये बाहर क्यों जा रहे हैं यह अलग बात है। लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी करना कि इनका डी.ए. काट लिया जाए, क्योंकि ये वॉक ऑऊट करते हैं, तो वॉक ऑऊट हम पूरा काम करने के बाद, कटौती प्रस्तावों पर बोलने के बाद और उसके पश्चात जब असंतोषजनक उत्तर यहां दिया जाता है तब हम वॉक ऑऊट करते हैं। इसलिए वॉक ऑऊट करना हमारा अधिकार है और यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक अंग है। इसलिए इस प्रकार की टिप्पणियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। यह अच्छा नहीं है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके वॉक ऑऊट के ऊपर कभी टिप्पणी नहीं की। यह पिछले सत्र की बात थी। लेकिन इस सैशन में या बजट के दौरान किसी भी अखबार में मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है और मुझे यह भी नहीं पता कि यह समाचार किस अख़बार में छपा है। अगर किसी अख़बार में छपा है, तो गलत छपा है।

अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करुंगा कि आपके वॉक ऑऊट करने से आपका कोई भत्ता कटा नहीं है। ----(व्यवधान)------ आप क्यों ऐसी बात करते हैं? ----(व्यवधान)--- एक बार कमेंट हुआ। -----(व्यवधान)--- This is not the matter. आप लोग बैठिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात आप लोग सुन लीजिए। मेरे कहने का मतलब यह

है कि यदि कोई टिप्पणी हुई है, तो उस पर ऐक्शन तो हमने लेना है। इसलिए वह अलग बात है और जो सूचना के बारे में आपने कहा है, तो हम सरकार से सूचना लेकर आपको बताएंगे।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि आपने डी.ए. काटा या नहीं, सवाल यह है कि आप रोज़ लोक सभा या राज्य सभा की कार्यवाही देखते हैं, वहां बहुत वरिष्ठ नेता वॉक ऑऊट करते हैं और इस सदन में भी जब-जब सरकार के किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हम लोग भी वॉक ऑऊट करते रहे हैं। इस बार तो विपक्ष ने इतनी जिम्मेदार का प्रदर्शन यहां किया है कि हमने अपना प्रोटैस्ट रजिस्टर कराकर उसके पश्चात फिर सदन में आकर विभिन्न इशुज पर चर्चा करने के लिए कार्यवाही में भाग लिया है।

01/04/2015/1200/RG/JT/3

हर बार जब मुख्य मंत्री टिप्पणी करते हैं, तो वह अख़बारों में आ जाती है। एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए।

एम.एस. द्वारा मुख्य मंत्री शुरू

01/04/2015/1205/MS/AG/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी के बाद----

Chief Minister: Regarding past sessions जो आप कह रहे हैं, मैंने किसी भी अखबार को ऐसी टिप्पणी हाल ही में नहीं की है। अगर छपी है तो I don't know कि किस अखबार ने छापी है। है? I refute it. I did not say any such thing to any newspaper in recent days.

अध्यक्ष: मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कहा ही नहीं है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: मैं यही बात कह रहा था कि हर बार आप ऐसा कहते हैं कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। आज के समाचार पत्रों में भी छपा है। कल हमने सदन की कार्यवाही में पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया। आपने राहत केन्द्र से मांगी और

बी0जी0पी0 की तरफ से मैमोरण्डम लेकर हमने भी वही राहत मांगने के लिए काम किया। जब हमने सदन का बायकॉट किया था तो यह रिकॉर्ड में है, यह भी हमने ही साबित किया कि जब हम सदन में नहीं आए, तो हमने हाजिरी भी नहीं लगाई। किसी भी हमारे विधायक ने डी0ए0 क्लेम नहीं किया। हमारा कोई भी विधायक उन दिनों हाजिरी लगाकर नहीं आया, जब हम सत्र का बायकॉट कर रहे थे। इसलिए मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री महोदय इसमें कन्ट्राडिक्ट करें। जैसे इन्होंने यहां कहा कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं तो यदि नहीं कहा तो यह बात समाचार पत्र कैसे छाप देते हैं? अगर मुख्य मंत्री को मिसकोट किया जा सकता है तो आम सदस्यों का क्या हाल होगा?

Chief Minister: In this session, I have not made any such statement inside the House or outside the House. But what I am saying in front of the House is amount to contradiction.

अध्यक्षः कन्ट्राडिक्शन हो गई है।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष जी, जब कटौती प्रस्तावों पर चर्चा समाप्त हो गई, उसके बाद आपने मुझे आदेश दिए और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया तो वरिष्ठतम विधायकों में से एक माननीय सदस्य ने उस पर आपत्ति जताई। आपने मुझसे जानना चाहा कि क्या मैं कटौती प्रस्तावों पर बोल रहा हूं या किसी अन्य चीज पर मुझे

01/04/2015/1205/MS/AG/2

बोलना है तो मैंने कहा, सर, मैं मांगों पर बोल रहा हूं और कुछ सुझाव दूंगा। इस प्रकार की परम्परा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में है और यहां भी है। कट मोशन्ज समाप्त हो चुके थे। उसके बाद मांग पर बोलना मेरा अधिकार था लेकिन आसन से निर्देश हुआ कि आप बैठ जाइए और नेता सदन ने भी यही कहा कि आप बैठ जाएं। मैंने दोनों का मान-सम्मान रखते हुए अपना आसन ग्रहण किया लेकिन मैं अध्यक्ष जी, इसके बारे में आपसे रूलिंग चाहता हूं। क्योंकि इस सदन में जब कुलदीप सिंह पठानिया जी सत्ता पक्ष के एसोसिएट मैम्बर थे तो वह हर बार मांगों पर बोलते थे। सभी लोग भूले नहीं होंगे, पिछले सत्र में जब सारा विपक्ष वॉकआउट कर गया, तब भी हमने मांगों पर चर्चा की थी और माननीय सदस्य आशा कुमारी जी ने भी चर्चा की थी। यह परम्परा है।

इसलिए भविष्य में ऐसा न हो, मैं इस बारे में जो व्यवस्था है उसका उत्तर चाहता हूं ताकि आप हमारा मार्गदर्शन करे और ऐसा कन्फ्यूजन बाद में न आए।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया है, इसमें दो बातों में कन्फ्यूजन है। जब कट मोशन्ज आते हैं तो जो सदस्य कट मोशन मूव करता है, वही उसमें बोल सकता है। उस पार्टी का भी दूसरा सदस्य उस पर नहीं बोल सकता और इसी आसन से जब सदस्य हाजिर नहीं होता तो कोई दूसरा सदस्य उसको मूव भी नहीं कर सकता। यह नियमों में बड़ा स्पष्ट है। माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं उसमें हमारे सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी ने जो विरोध किया था, वह इस बात पर किया था कि अगर इस तरह फिर से मांगों पर चर्चा होगी तो जो हमारे सदस्य कट मोशन्ज नहीं दे पाए, वे भी मांग पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में कोई नई डायरैक्शन्ज देने की जरूरत नहीं है। ऑलरैडी प्रावधान है कि मांग पर चर्चा हो सकती है लेकिन कट मोशन्ज में नहीं हो सकती। यह बड़ा स्पष्ट है इसमें किसी और रूलिंग की जरूरत ही नहीं है।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय..,

अध्यक्षः एक मिनट सुनिए।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष जी, जब कट मोशन्ज हो गए तो आपने स्पेसिफिकली मुझसे पूछा कि क्या आप कट मोशन्ज पर बोल रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं सर, मैं कुछ

01/04/2015/1205/MS/AG/3

सुझाव मांगों के बारे में देना चाहता हूं। इसीलिए मैंने आपसे आग्रह किया है कि इस पर रूलिंग आनी चाहिए ताकि भविष्य में फिर इस प्रकार की कन्फ्यूजन न हो।

Speaker: I must clear it for future also. आपको यह कहना चाहता हूं कि जो कट मोशन्ज होते हैं, वे डिमाण्ड्ज पर आते हैं और डिमाण्ड पर कोई भी सदस्य बोल सकता है। चाहे कोई सदस्य पक्ष का है या विपक्ष का है, वह उस डिमाण्ड का समर्थन या विरोध कर सकता है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा---

1.4.2015/1210/जेके/एजी/1

अध्यक्षः--------**जारी**---------

लेकिन कट मोशन्ज अपोजिशन ही देती है और कट मोशन्ज पर अपोजिशन ही बोलती है। अगर कोई रूलिंग साइड का मैम्बर कट मोशन की मांग पर उसको एप्रिशियेट करें या डेप्रिशियेट करें वह बोल सकता है। एक और बात है Rules are very silent about extension of time of the House कि आप 7 या 5 बजे के निर्धारित समय के बाद कटौती प्रस्तावों को डिस्कस करने के लिए बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं, rules are silent about it. But so far as the Parliament rules are concerned, they have done it so many times. They have extended the House many times. और कट मोशन्ज में उस मांग की फेवर में कोई भी माननीय सदस्य बोल सकता है उसमें कोई रोक नहीं है। कट मोशन्ज पर केवल अपोजिशन ही बोल सकती है जिसने कट मोशन किया हो। इससे ज्यादा इसमें क्या क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं? माननीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कट मोशन्ज पर ऑपोजिशन का ही राईट है। जिस मांग पर कट मोशन है उस मांग पर आप बोल सकते हैं। You can speak on the Demand but you cannot speak on the Cut Motion.

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने स्पष्ट किया था। मैं न तो विरोध में बोल रहा हूं और न ही पक्ष में बोल रहा हूं।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य यदि मांग के ऊपर चर्चा में भाग लेना चाहे तो लें जैसे कि नियमों में प्रावधान है। लेकिन हमारा जो ऐतराज था और जो श्री भारद्वाज जी ने ऐतराज़ किया वह समय आप निर्धारित करते हैं कट मोशन्ज की डिस्कशन के लिए और उसमें मैक्सिमम ढाई दिन होते हैं। कट मोशन्ज में बड़ी मुश्किल से तीन मांगों के कट मोशन्ज में दो कट मोशन्ज ही डिस्कस होते हैं और उसके बाद गिलोटिन लग जाता है और उसके बाद बजट पास होना होता है। या तो आने वाले समय के लिए जब अगले साल आपने ऐसा करना है तो उसके लिए समय निर्धारित करें ताकि उसमें

सारे माननीय सदस्य मांग के ऊपर चर्चा में हिस्सा लें। विपक्ष के जो कट मोशन्ज दिए होते हैं, उस समय को जैसा है वैसा रखें और मांगों के ऊपर चर्चा करें इसके लिए निर्धारित समय अलग से करें। ऐसा अगर आप निश्चित करेंगे तो यह ठीक रहेगा। मांगों पर चर्चा भी हो जाएगी और जो चर्चा में हिस्सा लेना चाहे वह भी उसमें चर्चा कर सकता है।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय महेश्वर सिंह जी ने एक महत्वपूर्ण विषय रखा है। रूल्ज़ से सम्बन्धित विषय सदन का है। पहला निवेदन तो मेरा यह है कि अगर किसी में रूल्ज नहीं है तो उनको हमने बनाना है तो सदन की रूल्ज कमेटी है, उसमें यह विषय लाए और यदि रूल बनाना है तो रूल बन जाए। उसमें चर्चा हो जाएगी और वह रूल सदन में बाद में रेटिफाई होने के लिए आता है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि यह जो चर्चा है, बजट पर जो हम जनरल डिस्कशन करते हैं, उसमें सारे सदन को पूरा समय मिलता है लकिन बाद में जो ढाई दिन रखे जाते हैं वे केवलमात्र डिफरैंट डिमाण्डज पर वह आप कट मोशन्ज के लिए रखते हैं। 32 मांगों में से कट मोशन्ज मुश्किल से 3 या 4 मांगों पर हो पाते हैं। फिर यहां पर गिलोटिन लग जाता है और बजट पास होगा। इसलिए अगर इसको पूरा ओपन कर देंगे तो मुझे लगता है कि पूरी डिस्कशन एक बार आप बजट पर करवाएंगे और फिर पूरी की पूरी डिस्कशन आप मांगों के ऊपर प्रारम्भ कर देंगे क्योंकि फिर आपकी रूलिंग के मुताबिक उसमें सबको मौका मिलना चाहिए। मेरा निवेदन इसमें यह है कि इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए या तो इस विषय को रूल्ज कमेटी में ले जाए और उसमें चर्चा हो। चाहे रूल्ज में प्रावधान करना हो तो उसमें प्रावधान हो, अन्यथा जो आपकी रूलिंग है वह भी हाऊस के लिए डायरैक्शन है। उन डायरैक्शन्ज के अन्तर्गत हम आगे के लिए काम करेंगे। लेकिन यदि आपने ओपन छोड़ दिया तो डिस्कशन कभी खत्म नहीं होगी और एक भी डिमांड पूरी नहीं हो सकेगी।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं आपकी बात का ज़वाब दूंगा। ऐसा है कि हर चीज के लिए रूल्ज में समय निर्धारित है। जैसे कि आपका

1.4.2015/1210/जेके/एजी/3

प्रश्नकाल एक घण्टे के लिए होता है। अगर उसमें एक प्रश्न का ज़वाब ठीक ढंग से दें तो 4 या 5 प्रश्न भी पूरे नहीं हो सकते हैं। We cannot contest the time given by the Constitution. रूल्ज के अन्दर जो टाईम दिया गया है उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

01.04.2015/1215/SS-AG/1

अध्यक्ष क्रमागतः

रूल्ज़ के अंदर जो टाइम दिया हुआ है उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर प्रश्नकाल के लिए एक घंटा है तो आपके प्रश्न एक घंटे में ही समाप्त करने पड़ेंगे। अगर आप कट-मोशन पर बोलना चाहेंगे और डिमांड की फेवर में बोलना चाहेंगे, जो समय उसमें गिलोटीन तक निर्धारित है आप उसमें ही चर्चा कर सकते हैं। उसमें कुछ रह जायेंगे या नहीं रह जायेंगे but you can't debar any Member to speak. उसमें डिमांड पर बोल सकते हैं। हम उसमें टाइम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। टाइम तो उतना ही रहेगा। आप गिलोटीन के बाद बोलेंगे नहीं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम लोग सदन में ऐसी बातें भी करते हैं जिसमें 15-15 मिनट या 20-20 मिनट या आधा घंटा बोलते रहते हैं। आप उसको सारांश में बोलिये। संक्षेप में बोलिये और सभी को बोलने का चांस दीजिए। दो-दो मिनट बोलिये, तब कवर हो सकता है लेकिन हम अपनी मर्जी से टाइम नहीं बढ़ा सकते हैं। उसमें टाइम मैनेज करना हाउस का काम है। बाकी sense of the House है। कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जैसे extension of time to the House है, वह हम sense of the House से कर सकते हैं, all other rules are silent about it. मैं यह कहूंगा कि जो निर्धारित समय है उसी में आपको मैनेज करना पड़ेगा और बाकी लोगों को आप जैसे डिमांड पर कोई बोलना चाहे तो डिबार नहीं कर सकते। That is under the rule, you can speak on that.

समाप्त

01.04.2015/1215/SS-AG/2

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर भी रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति का 38वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 15वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं।

अध्यक्षः अब श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, ग्रामीण नियोजन समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री कर्ण सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति का 14वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि कृषि विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों से सम्बन्धित विषयों की समीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

समाप्त

01.04.2015/1215/SS-AG/3

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री वक्तव्य देना चाहेंगे।

Chief Minister: Speaker, Sir, on 31.03.2015 at about 10.30 am Shri Babu Ram, Pradhan, Gram Panchayat, Balghad telephonically informed Police

that a dead body of a person was lying in the jungle. Upon this information, a Police Party visited the spot in presence of villagers. The deceased was identified by his brother. The body of deceased was lying at about 200 meters from his house. The spot was inspected by the Superintendent of Police, Bilaspur along with a team of FSL. The wife of the deceased Smt. Kirna stated that the deceased had left house in the morning on 30.03.2015. Post-mortem of the body is being carried out today and reason of death of the deceased is being enquired into. I am making the statement because the incident report regarding death of Shri Jodh Singh son of Shri Paras Ram, resident of Parahu, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur was raised in this august House by Hon'ble Member Shri Rikhi Ram Kaundalji. It is in reference to that that I am making this statement. (Interruption) आज तो पोस्ट-मार्टम हो रहा है।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, मैंने आज ही, जब समाचार पत्र में छपा कि उसकी लाश मिली, तो उसका कॉलिंग एटैंशन मोशन नियम-62 में दिया है। जब आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लगाने की अनुमति देंगे तो मैं सारी बात रखूंगा। कल मुझे एकदम से फोन आया और मैंने तुरन्त ही विषय आपके ध्यान में लाया। मैंने आज आपको नियम-62 के अन्तर्गत उसका नोटिस दिया है, जब वह सदन में लगायेंगे तो मैं उस पर पूरी चर्चा करूंगा। उसके बाद ही मैं माननीय मुख्य मंत्री का जवाब समझूंगा कि बिल्कुल सही है। मैं इस बात को मानता हूं कि अभी पोस्ट-मार्टम हो रहा है। --(व्यवधान)--

01.04.2015/1215/SS-AG/4

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अभी तो पोस्ट-मार्टम होना है। पोस्ट-मार्टम के बाद मालूम होगा और मामला जो है it is with the Police there and investigations are taking place. Where is the question of discussing further? अगर कोई और ज्यादा तथ्य रिवील होता है then you can bring the matter before this House.

अध्यक्षः माननीय सदस्य, पहले रिपोर्ट आने दीजिए। अब विधायी कार्य होंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

1.04.2015/1220/केएस/जेटी/1

<u>विधायी कार्यः</u>

<u>सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

अध्यक्षः अब विधायी कार्य होंगें।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 5) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।
तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 और 4 विधेयक का अंग बने।

1.04.2015/1220/केएस/जेटी/2

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2, 3 और 4 विधेयक का अंग बने।
तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

1.04.2015/1220/केएस/जेटी/3

पारणः

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 5) को पारित किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 5) ध्वनिमत से पारित हुआ।

1.04.2015/1220/केएस/जेटी/4

अध्यक्षः अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

आबकारी एवं कराधान मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल लाया है, उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, 25 लाख रु0 तक का जो इन्होंने प्रोविज़न किया है एक ही बार में कर लेने का, दूसरा इन्होंने चाय, ढाबे, हलवाई जो सारे प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनकी वैट की सीमा बढ़ाकर 8 लाख कर दी है और यह एक स्वागत योग्य है लेकिन मेरा इसमें निवेदन है कि जो बहुत पहले से चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में क्या, सारे देश भर में ही जो चाय बनाता है या ढाबे पर रोटी बनाता है या हलवाई की दुकान में मिठाई बनाता है, वे सारी चीजें वह बाज़ार से खरीदता है और उनके ऊपर वह वैट देता है और वैट देने के बाद जो चीजें लाता है, मेहनत करके उन चीजों को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित कर देता है और उसके बाद वह अपनी मेहनत को जोड़कर

1.04.2015/1220/केएस/जेटी/5

उसको बेचता है। उसके बाद उसके ढाबे पर रोटी पर भी वैट लग जाएगा। हलवाई की दुकान पर भी वैट लग जाएगा। यह ठीक है कि 8 लाख रु0 तक वैट नहीं लगेगा लेकिन

8 लाख तक भी इंस्पैक्टर का राज तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि कोई भी इंस्पैक्टर जा कर उनको कहेगा कि अपना रिकॉर्ड दो, आपका कारोबार तो 8 लाख से ज्यादा है। किसी को कोई भी बोल सकता है और उसको हिसाब-किताब तो रखना ही पड़ेगा । जो गरीब आदमी बेचारा मेहनत करता है, काम करता है, वैट दे कर सामान खरीदता है , बेसन खरीदता है, दुकान से तेल खरीदता है, पकौड़े बनाता है और बेच देता है तो उसको हिसाब-किताब रखने की बहुत मुश्किल होती है । हमारा निवेदन यह है कि अगर हलवाई, ढाबा और चाय वालों के लिए इसके ऊपर टोटल एग्ज़म्पशन कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

1.4.2015/1225/ag/av/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी----------

हलवाई, ढाबा और चाय वालों के लिए; तो यह बहुत अच्छा रहेगा। पहले यह 2 लाख रुपये हुआ करती थी। हमारी पार्टी के कार्यकाल में माननीय धूमल जी ने इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया। अब आपने इसको 5 लाख रुपये से 8 लाख रुपये कर दिया है। अगर इसको कतई तौर से समाप्त कर दिया जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। मैं केवल इतना ही सुझाव देना चाहता हूं और इसके लिए निवेदन करना चाहता हूं।

आबकारी एवं कराधान मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि हलवाई, चाय वाले या ढाबे वाले की वार्षिक टर्न ओवर पहले 5 लाख रुपये थी। हमारी सरकार ने उसको 5 लाख रुपये से 8 लाख रुपये किया है। यह टैक्स फ्री है और इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हमारी सरकार ने हलवाई, चाय वाले या ढाबे वाले को राहत दी है। जो वैट देता है उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रैडिट का प्रावधान है। दूसरे, 25 लाख रुपये तक लम्प-सम असैस्मैंट का प्रावधान है। जिनकी टर्नओवर 25 लाख रुपये तक है उनके ऊपर असैस्मैंट का प्रावधान है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने कहा कि वैट देना पड़ेगा। तो इनके ऊपर चाहे हलवाई है, ढाबे वाला है, चाय वाला है, चाट वाला है या रेस्तरां है; इनको टैक्स फ्री है।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 6) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।
तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, 5 और 6 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

1.4.2015/1225/ag/av/2

खण्ड 2, 3, 4, 5 और 6 विधेयक का अंग बने।
तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

पारणः

अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

आबकारी एवं कराधान मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 6) को पारित किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 6) पारित हुआ।

1.4.2015/1225/ag/av/3

अब इस मान्य सदन की बैठक वीरवार, 2 अप्रैल, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक : 1 अप्रैल, 2015 **सचिव।**